

GS WORLD

GS WORLD

GS WORLD

GS WORLD

अविश्वास प्रस्ताव

एक
नजार
में ...

GS WORLD

कितनी बार
सरकारें गिरीं

अब तक सिर्फ तीन बार सरकार गिरी है।

वर्ष 1990 में वी.पी. सिंह सरकार, 1997 में एच.डी. देवेगौड़ा सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और सरकार गिर गई।

अब तक लोकसभा में 13 बार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है जिनमें पांच प्रधानमंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है।

इसका रिकॉर्ड इंदिरा गांधी सरकार के नाम है जिसके कार्यकाल में 15 बार प्रस्ताव पेश किया गया।

1966 से 1975 के बीच 12 बार और 1981 एवं 1982 में तीन बार उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया।

वर्ष 1963 में समाजवादी नेता आचार्य कृपलानी ने जवाहर लाल नेहरू सरकार के खिलाफ भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था।

अब तक के अविश्वास प्रस्ताव की संख्या कुल 27 हो गयी है।

भारत में सबसे पहले 1963 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था।

दुनिया में पहला अविश्वास प्रस्ताव 1782 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया था।

वर्ष 2003 के बाद यह पहली बार है जब विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है।

जैसे स्पेन, जर्मनी और इजरायल में अविश्वास प्रस्ताव के साथ विपक्ष को ऐसे व्यक्ति को भी नामित करना पड़ता है जो अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद सत्ता प्रमुख नियुक्त हो सकें।

क्या है
अविश्वास
प्रस्ताव?

चर्चा में
क्यों?

हाल ही में विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद इस संदर्भ में हुए मतदान में सरकार जीत हुई।

मोदी सरकार के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव था।

अविश्वास का प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है, जिसे विपक्ष द्वारा संसद में केंद्र सरकार को गिराने या कमज़ोर करने के लिए रखा जाता है।

यह प्रस्ताव संसदीय मतदान (अविश्वास का मतदान) द्वारा पारित या अस्वीकार किया जाता है।

इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं होता है।

इसे लोकसभा स्पीकर के सामने पेश किया जाता है उनकी मंजूरी के बाद दस दिनों के अंदर इस पर चर्चा होती है।

संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है।

अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है जबकि नियम 198 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है।

अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों की जरूरत होती है।

अविश्वास प्रस्ताव जीतने में अगर सत्ता पक्ष नाकामयाब हो जाता है तो उसे सत्ता छोड़नी पड़ती है और पार्टी का जो भी सदस्य प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर होता है उसे अपने पद से इस्तीफा देना होता है।

अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल हर देश में किया जाता है, लेकिन हर देश में इसका प्रारूप अलग-अलग होता है।

GS WORLD

GS WORLD

GS WORLD